फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

10.2.2014

आवेदक **श्री अमित राज**, पिता–श्री विजय शर्मा, सा0–धौरानी टोला, थाना–मोकामा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या--09–485/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1460/गो0, दिनांक–03.10.2013 द्वारा जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के भूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ के ज्ञापांक–3353/बाढ़, दि0–25.09.2013 द्वारा थानाध्यक्ष–सह–पुलिस निरीक्षक, मोकामा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, मोकामा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषक हैं। वे अपराधी प्रवृति एवं गर्म मिजाज के हैं। अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर लोक शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में आवेदक गढ़हरा (बरौनी), बेगुसराय थाना कांड सं0–62/2013 धारा–394 भा0द0वि0 में बेगुसराय जेल में हैं एवं मोकामा थाना कांड स0–109/06 धारा–341/376/511/504/506 भा0द0वि0 में आरोपित हैं। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के साथ ही आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गई है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने से लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, 14, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री मनोज कुमार सिंह, पिता–स्व0 उमा नाथ सिंह, सा0–नरौली, पो0–करौटा, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।